

उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ०प्र० सरकार द्वारा गठित)

मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ

वेबसाइट: hajcommittee.up.gov.in ; ई-मेल : hajcommittee.up@gmail.com

पत्रांक : जी-॥/724 एस०एच०सी/2025

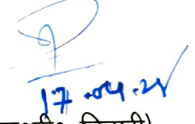
दिनांक : 17.04.2025

—: प्रेस विज्ञप्ति :-

हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई ने अपने पत्र दिनांक 16.04.2025 में अवगत कराया है कि सऊदी सरकार ने मोफा प्रोसेसिंग व वीजा जारी होने की अन्तिम तिथि 18 अप्रैल, 2025 रखी है।

उक्त के दृष्टिगत प्रत्येक हज यात्री का मूल अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट जमा होना आवश्यक है। पासपोर्ट न जमा होने की स्थिति में हज यात्री निरस्त की जा सकती है।

सऊदी सरकार ने इस वर्ष हज यात्रियों हेतु आवास, परिवहन व यात्रा संचालन के क्रियान्वयन का कार्य हज यात्रियों की सुविधार्थ उड़ानों के साथ लिंक कर दिया गया है जिसके कारण उड़ान निर्धारित हो जाने के बाद उड़ान तिथि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं होगा। सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि वह अपनी निर्धारित उड़ान तिथि के अनुसार ही यात्रा करें, निर्धारित उड़ान किसी कारण से छूट जाने पर उनकी यात्रा निरस्त हो सकती है, क्योंकि बदली हुई तिथि में उनके लिए कोई मैपिंग व्यवस्था किया जाना सम्भव नहीं होगा।



(एस०पी० तिवारी)

सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ०प्र० को मा० मंत्री जी को अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज को मा० मंत्री जी को अवगतार्थ।
3. निदेशक, उ०प्र० अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।
5. समस्त ई-सुविधा केन्द्र व प्रशिक्षक, समस्त जनपद, उ०प्र०।
6. सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०।



(एस०पी० तिवारी)

सचिव/कार्यपालक अधिकारी